आयोग की तुरंत स्थापना की जाए । महोदया, हर समय सरकार अपने भाषणों में कहती है कि आज के बालक कल क भविष्य हैं लेकिन उनके बारे में जितने कड़े कदम उठाकर उनकी सुरक्षा करनी चाहिए थी, वह नहीं कर पा रही है । आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह जो कहती है, वह करे । धन्यवाद ।

SHRIMATI SAVITA SHARDA (Gujarat): Madam, I associate myself with this issue.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Madam, I also associate myself with this issue.

THE DEPUTY CHAIRMAN: All of us associate ourselves with this issue.

Transfer of Chandigarh to Punjab

SHRI KARTAR SINGH DUGGAL (Nominated): Madam, my Special Mention pertains to non-transfer of Chandigarh to Punjab. As provided in clause 7 of the Rajiv-Longowal Accord, Chandigarh was to be transferred to 26th January, 1986. It was Punjab and the transfer was to occur on stipulated that when Chandigarh goes to Punjab, in lieu thereof some Hindispeaking areas in Punjab, which are contiguous to Haryana, with village as a unit, would go to Harvana. Accordingly, a Commission was set up under Justice K.K. Mathew which was to give its verdict by 31st December, 1985. The Commission could not locate any such areas. Another Commission was appointed under Justice E.S. Venkataramiah on 2nd April, 1986, to see if any Hindi-speaking villages contiguous to Haryana could be located. Justice Venkataramiah determined that 70,000 acres of land was due to Haryana against which he could earmark 45,000 acres comprising 30 Hindi-speaking villages contiguous to Haryana. As for the rest 25,000 acres, he recommended that Punjabi-speaking areas should be transferred to Haryana, It did not work. Another Commission under Justice D.A. Desai was appointed on 20th June, 1986, to determine the specific areas within 24 hours. He failed to do so. Since Punjab would not part with 25,000 acres Punjabi-speaking area to Harvana, Chandigarh has remained untransferred and the Rajiv-Longowal Accord unimplemented.

My plea is that if Haryana must have its pound of flesh, 25,000 acres of land could be donated by Uttar Pradesh, a massive neighbour in the East, as a gesture of goodwill, and the dispute can be settled. I wonder why the Centre is not persuading Uttar Pradesh Government which is an ally of the NDA.

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : माननीय महोदया, मैं आपसे विशेष उल्लेख के अन्तर्गत बोलने की अनुमति चाहती हूं।

उपसभापति: क्या चीज है, बोलिए।

Security for people of Jammu and Kashmir

डा. प्रभा ठाकुर: माननीय उपसभापति महोदया, आपने मुझे बोलने की अनुमित प्रदान की इसके लिए धन्यवाद। मैंने 15 तारीख को विशेष उल्लेख के अन्तर्गत अपना निवेदन प्रस्तुत कर रखा था और 16 तारीख को मुझे यह स्लिप प्राप्त हुई ...(व्यवधान)....

उपसभापति: अपनी बात कहिए, आपने क्या किया था, वह तो हो गया।

डा. प्रभा ठाकुर: महोदया, जम्मू कश्मीर के नागरिकों की स्रक्षा के संदर्भ में. मैंने 15 तारीख को विशेष उल्लेख पर बोलने की अनुमति चाही थी। जम्मू के निकट कासिम नगर में गत शनिवार रात 13 जलाई को घटित घटना में 29 निर्दोष ग्रामीणों की निर्मम हत्या की गई। इसकी जितनी भी निन्दा की जाए कम है। केन्द्रीय सरकार ने भी इस अमानवीय हादसे की कड़ी निन्दा की है तथा हमेशा की तरह कठोर कार्यवाही करने की बात भी दहराई है। कुछ ही सप्ताह पूर्व जम्मु क्षेत्र के कालूचक ग्राम में आतंकवादियों के हमले में हमारे जांबाज सैनिकों के अनेकों परिजनों ने अपने प्राण गंवाए तब भी केन्द्रीय सरकार ने सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने तथा आतंकवादी संगठनों से सख्ती से निपटने के दावे किए थे। इस घृणित और नृशंस हादसे ने इस सरकार के इन सभी दावों को झठा तथा खोखला प्रमाणित किया है। बल्कि हो यह रहा है कि सरकार जितनी कठोर कार्यवाही और सुरक्षा ध्यवस्था की घोषणाएं करती है, जम्म-कश्मीर क्षेत्र के निर्दोष नागरिक उतने ही आतंकवाद के अधिक शिकार होते जा रहे हैं। इस ताजा जघन्य कांड ने पुनः जम्मु-कश्मीर के बेबस नागरिकों को केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा दिए जाने तथा सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने के दावों को बिलकुल निराधार प्रमाणित करते हुए सरकार के दावों और इरादों को चुनौती दी है। पाक के आतंकवादी संगठनों पर आरोप लगाकर या पाकिस्तान पर बार-बार आरोप लगाकर, केन्द्र की सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। देश की जनता और यह सदन, सरकार से जानना चाहता है कि यह सरकार बेकसूर कश्मीरियों की सुरक्षा के प्रति कितनी गंभीर है और क्या सचमूच गंभीर है?

उपसमापित : आपको इसीलिए अनुमति दी है, we are going to have a full-fledged discussion on Jammu and Kashmir situation. That is why your Special Mention was not accepted. But as we have time today, I allowed it, it is a very serious matter and the House is going to have a full-fledged discussion.

Now, since there is no other business now, can we take up the Private Members' Business now? Or, if the House so agrees, either we meet at 2 o' clock and advance the time of the Private Members' Business or I adjourn the House till 2.30 p.m. I leave it to the House...